

2014

सम्पादक - न्यायालय श्रीनान् राजस्व नडल एवं लघुर कम्पसागर म.प्र. GF
R-3845-I/15

छोदी पिता दरई जाति अहिरवार

साकिन जोरतला कला, तह पथरिया,
जिला-दमोह, म.प्र.,

169

पुनरीक्षणकर्ता

// विलङ्घ //

जोदा पिता हरिया उर्फ हरिराम जाति अहिरवार,
निवासी- जोरतला कला, तह पथरिया जिला दमोह,
म.प्र.,

उत्तरदाता

रि.क्र.

प्रस्तुति दि 27/10/2014

पुनरीक्षण निगरानी आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भ.रा. सं

यह पुनरीक्षण याचिका अधिनस्थ न्यायालय श्रीनान् अनुविभागीय
अधिकारी पथरिया के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2014
अपी.प्र.क्र. 16 31/06, 13-14, जोदा विलङ्घ उदी व अन्य, मैंपारित
उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर वैधानिक सारवान तथ्यों पर अग्रिमित
अनुसार प्रस्तुत करता है:-

/// मामले के तथ्य ///

इस प्रकार है कि, पुनरीक्षणकर्ता उत्तरदाती ने ग्राम जौणा
जोरतला, तह पथरिया जिला दमोह म.प्र. के छ.नं 430, 434, रक्खा
क्रमांक : 0.52, a 23 कुल रक्खा 0.75 है, भूमि को जारिस ~~प्रदानित किया~~
~~प्रदान किया~~ संख्या 33 दिनांक 20/08/1996,

से अनुसार मालिक, कालिं दुआ था। और पुनरीक्षणकर्ता उक्त दिनांक
से ही निरंतर उपरोक्त संख्या पर्याप्ति के बटवारा प्रवृद्धि नामांतरण
से कालिं मालिक है। उत्तरदाता से पारिवारिक बुराईवश बाद

में उत्तरदाता ने असत्य आधारों पर उक्त संख्या पर्याप्ति को निरस्त
करने वायत तथ्यहीन गलत आधारों पर अनुविभागीय अधिकारी
पथरिया के समक्ष उक्त अपील प्रस्तुत की है कि, उत्तरदाता का दंड

152
28-10-14

30/10/14

17-11-14

3


→ 2 ←

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3845—एक / 2014

जिला दमोह

छेदी विरुद्ध खोदा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07-03-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी बनुविभागीय अधिकारी पथरिया जिला दमोह के प्रकरण क्रमांक 16/अ-6/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 28-8-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला दमोह के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को कलेक्टर दमोह के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	
		 (आदेशकों जैन) सदस्य ३१/५/२०१९